



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04042026-271569
CG-MH-E-04042026-271569

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1656]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948

No. 1656]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 1 अप्रैल, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 37A के तहत

का.आ. 1721(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम 1989 (वर्ष 1989 का 24वां) खंड 2 की धारा 37A के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मध्य रेलवे के अंतर्गत "नाशिक रोड और साईनगर शिर्डी परियोजना के बीच दोहरी लाइन (95.059 किमी)" "विशेष रेलवे परियोजना" के रूप में रेलवे परियोजना को भूमि अधिग्रहण करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के अहिल्यानगर और नाशिक जिले में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित करने हेतु, विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. G197/Nashik Road – Sainagar Shirdi/SRP/37A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Central Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 1st April, 2026

Under clause 37A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 1721(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of The Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government hereby notifies **“Double Line between Nashik Road – Sainagar Shirdi Project (95.059 Km)”** as Railway project under Central Railway, under **“Special Railway Project”** for acquisition of land in Ahilyanagar and Nashik Districts of Maharashtra State for providing national infrastructure.

[F. No. G197/Nashik Road – Sainagar Shirdi/SRP/37A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)